प्रेस नोट

सराहनीय कार्य दिनाँक 30.11.23

थाना रोजा पुलिस को मिली बडी कामयाबी

थाना रोजा पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार व आलाकत्ल बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन में पुलिस श्री सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे दिनांक 28/11/2023 को ग्राम सिसौआ मे हुई दहेज हत्या की घटना के संबध मे थाना हाजा पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 756/2023 धारा 498ए,304 बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त उमेश गुप्ता पुत्र सियाराम गुप्ता उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सिसौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 30/11/23 को समय 12.00 बजे अटसलिया पुल से गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक साड़ी नारंगी रंग की व प्लास्टिक की रस्सी बरामद किया गया। अभि0 के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त : -</u>

1. उमेश गुप्ता पुत्र सियाराम गुप्ता उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सिसौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

<u>पंजीकृत अभियोग :-</u>

1. मु0 अ0 सं0 756/2023 धारा धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 ।

<u>बरामदगी</u> : -

1. एक साड़ी नारंगी रंग की
2. प्लास्टिक की रस्सी
3. एक अदद मोबाइल INFINIX कम्पनी रंग नीला

पूछताछ अभियुक्त :-

मेरी शादी में मेरे ससुरालीजनों ने मुझे मेरी हैसियत के अनुसार दान दहेज नहीं दिया था, जिस कारण अक्सर मेरी पत्नी रीना गुप्ता से मेरे अनबन व झगडा रहता था। मैने अपना व्यापार/डीजे का काम करने व जनसेवा केन्द्र चलाने के लिए सपना गुप्ता, आजाद पुत्र भगवन्नू निवासी चरखुई, अनिल पुत्र विश्राम निवासी रामापुर से कुछ पैसे लिए थे। मेरे व्यापार व काम धंधे में मुझे काफी नुकसान हो गया, जिससे में उपरोक्त लोगों के कुछ पैसे ही वापस कर सका था परन्तु पूरे रूपये वापस नहीं कर पाया था। मैने अपनी

पत्नी रीना गुप्ता से कहा कि तुम्हारे मायके वालों ने मेरी शादी में मुझे मेरी हैसियत के अनुसार दान दहेज नहीं दिया है, तुम अपने मायके से 5 लाख रूपये लेकर आओ, जिससे में लेनदारों के पैसे वापस दे दूं। परन्तु दीपावली के बाद मेरी पत्नी अपने मायके से दहेज में रूपये लेकर नहीं आयी, इसी को लेकर मेरी पत्नी रीना गुप्ता से मेरा झगडा हो गया। 6 ,7 दिनों के बाद प्लानिंग बनाने के बाद, प्लानिंग के तहत मैने दिनांक 28.11.2023 को शाम के समय अपने लेनदारों को बुलाया कि मैने अपने ससुरालीजनों से रूपये मांगे है और मुझे पैसा दे रहे है तुम आकर अपने रूपये ले जाओ, इसी बात पर लेनदार मेरे घर पर आये तो मैने अपने मोबाइल का समय बदल कर, गलत समय के साथ फोटों खींच लिया और रात्रि में करीब 02.00 बजे जब मेरी पत्नी रीना गुप्ता बरामदे में चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी तब धीरे से चारपाई के एक मझुवा (पाये) से साडी का एक छोर बांध कर, साडी को गले में जल्दी से लपेट कर दूसरी तरफ से कसकर खींच दिया, मेरी पत्नी रीना गुप्ता एक बार हल्के से चिल्लाई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी तब मैने उसकी लाश को रात्रि में ही करीब 03.00 बजे मौका देखकर रास्ते में फैक दिया और घर के अन्दर आकर उसी चारपाई पर प्लास्टिक की रस्सी बांधकर/लपेट कर, रस्सियों के नीचे घुस गया, जिससे लोगों को लगे की कोई व्यक्ति मुझे बेहोश कर चारपाई से बांध कर चला गया है। कुछ ही देर बाद गाँव के लोगों को मेरी पत्नी की लाश रोड पर पडी मिली तो गाँव में काफी शोर शराबा हो गया और लोगों ने घर के अन्दर आकर देखा तो मैं चारपाई से बंधा हुआ था, जब लोगों ने मुझे खोलकर पूछा तो मैने लोगों को बताया कि सपना गुप्ता, आजाद , अनिल उपरोक्त लोग रात्रि में करीब 02.00 बजे मेरे घर में घुस आये थे और मुझे कुछ नशीली पदार्थ सुंघाकर रस्सी से बांध कर घर में रखे रूपये लूट कर ले गये और मेरी पत्नी रीना गुप्ता की हत्या कर लाश को बाहर फैक कर चले गये है, जिसके लिए मैने अपने गाँव के लोगों को लेनदारों के फोटो भी दिखाये,मौके पर गाँव वालों के बुलाने पर वह लोग भी आ गये थे तो गाँव लोग मुझे ही शक की निगाहों से देखने लगे थे, गाँव के ही किसी व्यक्ति ने मेरे ससुरालीजनों को फोन कर दिया था, जो मेरे घर पर आते ही मेरे साथ ही हाथापाई करने लगे थे, जिससे मैं मौके से भाग गया था, बाद मैं मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पत्नी की 05 लाख रूपयों के लिए गलत हत्या की है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. व0उ0नि0 जुगुल किशोर
3. का0 2538 नितिन सोलंकी